



दिल्ली विकास प्राधिकरण

दि.वि.प्रा. में उप मुख्य लेखा अधिकारी [डिप्टी सीएओ (परामर्शदाता)] के चार (04) पद अनुबंध आधार पर भरने हेतु।

दिल्ली विकास प्राधिकरण अनुबंध के आधार पर चार (04) उप मुख्य लेखा अधिकारी (परामर्शदाता) की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत निकायों, बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, विनियामक निकायों और सांविधिक निकायों के सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है। नियुक्ति शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक होगी, जिसे डीडीए की आवश्यकता और परामर्शदाता के कार्य-निष्पादन के आधार पर 05 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। डीडीए की आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

निर्धारित प्रारूप के साथ पूर्ण अधिसूचना डीडीए वेबसाइट (<http://www.dda.gov.in/>) पर “जॉब्स” लिंक पर उपलब्ध है।

इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में विधिवत् रूप से भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन की स्कैन की गई पीडीएफ / जेपीईजी प्रति, एपीएआर, वीसीआर और पीपीओ की प्रतियों के साथ ई-मेल द्वारा consultantpb1@dda.gov.in पर 28.04.2025 को शाम 5:00 बजे तक भेजना अपेक्षित है। इस संबंध में ई-मेल या फोन इत्यादि के माध्यम से कोई भी संचार नहीं किया जाएगा।

आयुक्त (कार्मिक)

हमें [@ddaaofficial](https://www.facebook.com/ddaofficial) [@official_dda](https://twitter.com/official_dda) [@official_dda_](https://www.instagram.com/official_dda_) पर फॉलो करें।

डीडीए वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएं अथवा टॉल फ्री नं. 1800 110 332 डायल करें।